राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर झुन्झुनू

क्रमांकः प 12(3)(3)राज/2008/ दिनांकः अक्टूबर, 2021

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प. 12 (3)(3) राज./2008/352–357 दिनांक 27.01.2009 द्वारा ग्राम डूण्डलोद स्थित भूमि ख.नं. 507 रकबा 1.15 हैक्टे. में से 3000 वर्गमीटर भूमि श्री नीरज कुमार सैनी अध्यक्ष, मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ के नाम से शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गई थी। अध्यक्ष माँ भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद जिला झुन्झुनू द्वारा प्रस्तुत पत्रांक MBESD/2021/42 दिनांक 24.08.2021 के अनुसार उक्त आदेश श्री नीरज कुमार सैनी अध्यक्ष माँ भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ के नाम से जारी हुआ है, जबकि उक्त आदेश मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद जिला झुन्झुनू (राजस्थान) जरिये चेयरमैन श्री नीरज कुमार सैनी पुत्र श्री गिण्डा राम वार्ड नं. 07 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान) के नाम से जारी होना चाहिये था। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार भूमि के पंजीकृत दस्तावेज/सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि का पट्टा/संपरिवर्तन आदेश में पहले संस्था का नाम व बाद में जरिये सचिव/अध्यक्ष होना चाहिये। उक्त वर्णित भूमि संपरिवर्तन आदेश में श्री नीरज कुमार सैनी अध्यक्ष माँ भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ के स्थान पर माँ भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद जरिये अध्यक्ष नीरज कुमार सैनी पुत्र श्री गिण्डाराम सैनी निवासी वार्ड नं. 07 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान) संशोधित करवाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन पेश होने पर प्रकरण की मूल पत्रावली अभिलेखागार से तलब कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिर हुआ है कि पत्रावली में संलग्न आवेदन–पत्र मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद जिला झुन्झुनू (राजस्थान) जरिये चेयरमैन श्री नीरज कुमार सैनी पुत्र श्री गिण्डा राम वार्ड नं. 07 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान) के नाम से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन संपरिवर्तन आदेश जारी करते समय अध्यक्ष नीरज कुमार सैनी का नाम पहले और संस्था का नाम बाद में दर्ज कर दिया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी में भी उक्त वर्णित भूमि मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद अध्यक्ष नीरज कुमार सैनी पुत्र श्री गिण्डा राम सैनी जाति माली सा. वार्ड नं. 07 नवलगढ़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार पैरा संख्या 01 में वर्णित संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प. 12 (3)(3) राज./2008/352–357 दिनांक 27.01.2009 में श्री नीरज कुमार सैनी अध्यक्ष, मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ के स्थान पर मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद जिला झुन्झुनू (राजस्थान) जरिये चेयरमैन श्री नीरज कुमार सैनी पुत्र श्री गिण्डा राम वार्ड नं. 07 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान) संशोधित किया जाता है। उक्त आदेश की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। तहसीलदार नवलगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करे।

Sd/-
(यू.डी.खान)
जिला कलक्टर झुन्झुनू

क्रमांकः प 12(3)(3)राज/2008/5529-31 दिनांकः 29 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप खण्ड अधिकारी नवलगढ़ ।
2. तहसीलदार नवलगढ़।
3. अध्यक्ष, मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
4. गार्ड फाईल।

28.10.2021

(जे.पी. गौड़)
अति.जिला कलक्टर झुन्झुनू

Tel.No. (o) 01592-232237, 232040, Fax No. 01592-234201 E-Mail col.jjn@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

क्रमांक प. 12 (3)(3) राज / 2008 /   दिनांक   जनवरी, 2009

संपरिवर्तन आदेश

श्री नीरज कुमार सैनी अध्यक्ष, मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति मे धारित कृषि भूमि का शिक्षण संस्थान प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है, अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्व (भूमि रुपान्तरण) विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.2(40)राज / भू.रू. / 08 दिनांक 3.9.08 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 13 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निचे दी गई है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता / पति के नाम सहित तथा पूरा पत्ता :	श्री नीरज कुमार सैनी अध्यक्ष, मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है :	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा : (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	 ग्राम डूण्डलोद ग्राम पंचायत डूण्डलोद तहसील नवलगढ़
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खसरा संख्या 507 रकबा 1.15 हैक्टेयर
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	खसरा संख्या 507 रकबा 1.15 हैक्टेयर में से 3000 वर्ग मीटर

टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति सलंग्न है।

4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :	चालान संख्या 165 दिनांक 13–1–09 राशि 60,000 / – रूपये
6.	चालान की संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :	हां

उप-पंजीयक, नवलगढ़

9.	अन्य कोई विशिष्टियों, यदि कोई हो :	नही
10.	उपर्यक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :– (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा। (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत्त कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत्त हो जायेगा। (3) नियम –4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। (5) इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी। (6) निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी। (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।	

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

क्रमांक प. 12(3)(3)राज/2008/352-57 दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 उप खण्ड अधिकारी, नवलगढ ।
2 प्रभारी अधिकारी जिराले अनुभाग कार्यालय हाजा ।
3. तहसीलदार, नवलगढ़।
3 सरपंच, ग्राम पंचायत डूण्डलोद तहसील नवलगढ़।
4 श्री नीरज कुमार सैनी अध्यक्ष, मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़
5 गार्ड फाईल।

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

उप-पंजीयक, नवलगढ़

(5)

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस विकय पत्र
की मालियत रूपये 60000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 300 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 600 कुल रूपये 1100
जरिये रसीद संख्या 2009000824 दिनांक 21/04/2009
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 4800
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2009001340) उप पंजीयक, NAWALGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

आज दिनांक 21/04/2009 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 201
में पृष्ठ संख्या 133 क्रम संख्या 2009000086 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 844
के पृष्ठ संख्या 286 से 298 पर
चस्पा किया गया।

(2009001340) उप पंजीयक, NAWALGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))